

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) एवं विभाग में संचालित अन्य योजनाओं हेतु संरक्षित खेती (Protected Cultivation) घटक के अन्तर्गत पॉलीहाउस व शेडनेट हाउस निर्माणकर्ता फर्मो/कम्पनियों/अधिकृत विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित EoI की शर्त संख्या -18 में संशोधन एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

EoI की शर्त संख्या 18 में संशोधन - फर्म/कम्पनी को राजकीय/सार्वजनिक क्षेत्र/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र में High-tech/Naturally Ventilated व अन्य प्रकार के पॉलीहाउस/शेडनेट हाउस बनाने का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य आदेश एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया हो, संलग्न करना होगा, को पढ़ा जाये।

